निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (श0)
(सं0 पटना 448) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

25 फरवरी 2015

सं0 22/नि0सि0(पू0)–01–12/2007/529––श्री मो0 शब्बीर, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, मुरलीगंज के विरूद्ध वर्ष 2006–07 में नहर सम्पोषण कार्यों में राशि की लूट करने से संबंधित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 697 दिनांक 22.08.08 द्वारा निम्न गठित आरोप के लिए स्पष्टीकरण किया गया :–

''मधवापुर लघु नहर के वि0 दू0 2.00 से 10.00 तक नहर तल सफाई एवं बॉध सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 44,838/– रूपये की स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा की गयी, परन्तु बिना कार्य कराये उक्त रूपये का फर्जी भुगतान आपके द्वारा किया गया। अतः कुल 44,838/– रूपये के फर्जी भुगतान हेतु आप दोषी हैं।''

श्री मो0 शब्बीर, तत्कालीन सहायक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त मो0 शब्बीर द्वारा बिना विहित प्रक्रिया अपनाये अनियमित रूप से कार्य कराये जाने एवं आंशिक कार्य के विरूद्ध पूर्ण भुगतान किये जाने को प्रमाणित आरोप के लिए मो0 शब्बीर को दोषी मानते हुए निम्न दण्ड विभागीय पत्रांक ज्ञापांक 1189 दिनांक 28.08.14 द्वारा मो0 शब्बीर, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, मुरलीगंज को संसूचित किया गया।

''दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।''

उपर्युक्त दण्ड के विरूद्ध मो0 शब्बीर द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। मो0 शब्बीर से प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा में पाया गया कि उड़नदस्ता के स्थलीय जॉच में ग्रामीणों से पूछताछ के क्रम में नहर में कोई काम नहीं होने तथा मात्र जंगल सफाई होने का उल्लेख किया गया है। जॉच के दौरान मो0 शब्बीर द्वारा मजदूर

रखकर कार्य कराये जाने का उल्लेख किया गया है परन्तु जब कार्य दिखाये जाने को कहा गया तो संतोषजनक उत्तर जॉच दल को नहीं दिया गया। जॉच दल द्वारा परिवादी एवं आरोपी पदाधिकारी के उपस्थिति में नहर तल उबड़–खाबड़ अवस्था में एवं नहर में कार्य कराने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया एवं बिना कार्य कराये फर्जी तौर पर भुगतान के लिए आप दोषी हैं।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त मो0 शब्बीर का पुनर्विचार अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

अतः मो0 शब्बीर, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, मुरलीगंज का पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में संसूचित दण्ड को यथावत रखा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 448-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in